कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए–बी विंग,भोपाल–462004

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक– 10/04/2017.

क्रमांक– 665/22/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017–18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करनें संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश कमांक – 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरूद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हैं।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

सरल कमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	वीर नारायण जनकल्याण आदिवासी संस्थान, छिन्दवाडा
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	वीर नारायण महा0 पार्डुना पिपरिया तह0 तामिया छिन्दवाडा
3	आवेदित नवीन पाठ्यकम	बी0काम0–प्रथम एवं कम्प्युटर ए0
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यकम	1. बी0ए0–द्वितीय–राजनीति, अर्थशास्त्र,समाजशा0 2. बी0एससी0–द्वितीय–भौतिक, गणित,रसायन
5	आदेश कमांक – 580/999/आउशि/सम्बद्धता /17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें का कारण	कॉलेज कोड 28 के तहत नियुक्तियां नहीं है, कार्यवाही प्रकियाधीन है। अन्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यकम संचालन न करने संबंधी घोषणा पत्र संलग्न नही है।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कॉलेज कोड 28 के तहत नियुक्तियां नहीं है, कार्यवाही प्रकियाधीन है।

7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यकर्मों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यकम	––निरंक––
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यकर्मों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यकम	बी0काम0–प्रथम एवं कम्प्युटर ए0 1. बी0ए0–द्वितीय–राजनीति, अर्थशास्त्र,समाजशा0 2. बी0एससी0–द्वितीय–भौतिक, गणित,रसायन

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत्रा कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ. क्रमांक–666/22/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक– 10/04/2017.

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
2– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।
3– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, जबलपुर, (म0प्र0)।
4– कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, (म0प्र0)।
5– प्राचार्य, अग्रणी शासकीय पीजी महाविद्यालय,छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश।
6– संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

––––की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए–बी विंग,भोपाल–462004

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक– 10/04/2017.

क्रमांक– 673/58/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017–18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करनें संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश कमांक – 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरूद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हैं।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

सरल कमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	सतगुरू देव वापोली वाले गुरू जी शिक्षा समिति सांईखेडा नरसिंहपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	न्यूटन कालेज आफ साइंस एण्ड टेक्नो0 साइंखेडा,नरसिंहपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1. बी0काम0–प्रथम कम्प्यु0 ए0
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1. बी0ए0–तृतीय–राजनीति,अर्थ, समाज 2. बी0एससी0–तृतीय–भौतिक,गणित,रसायन
5	आदेश कमांक – 580/999/आउशि/सम्बद्धता /17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें का कारण	संस्था सत्र 2014–15 से किराये के भवन में संचालित है। मार्गदर्शिका अनुसार अधिकतम तीन वर्ष तक ही किराये के भवन में महाविद्यालय संचालित किया जा सकता है। किराये के भवन से लीज के भवन में स्थान परिवर्तन की अनुमति आयुक्त, उच्च शिक्षा से प्राप्त नहीं की गई है। यू. जी.सी. वेतनमान के भुगतान से संबंधित दस्तावेज, ई.पी. एफ. कटौत्रा पत्रक, रजिस्टर्ड समिति की वैध सूची, तथा नवीन आवेदित पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश की प्रति/कुल सचिव का प्रमाण पत्र,गत वर्ष में लगाई गई

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">शर्त की पूर्ति के दस्तावेज अप्राप्त रहे हैं। आवेदित नवीन पाठ्यक्रम में गत सत्र में 50 प्रतिशत से अधिक प्रवेश हुये/नही होने सबंधी अग्रणी शासकीय महाविद्यालय का प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं है।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष</td><td colspan="2">संस्था को किराये भवन में कॉलेज संचालन हेतु सत्र 2014–15 से अनुमति दी गई थी, नियमानुसार तीन वर्ष ही किराये के भवन में कॉलेज संचालित किया जा सकता है, किराये के भवन से स्वय के भवन में स्थान परिवर्तन की कार्यवाही/अनुमति अपेक्षित है।</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय</td></tr>
<tr><td></td><td>आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।</td><td>मान्य पाठ्यक्रम</td><td>–निरंक–</td></tr>
<tr><td></td><td>आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है।</td><td>अमान्य पाठ्यक्रम</td><td>1. बी0काम0–प्रथम कम्प्यु0 ए0
1. बी0ए0–तृतीय–राजनीति,अर्थ, समाज
2बी0एससी0–तृतीय–भौतिक,गणित,रसायन</td></tr>
</table>

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत्रा कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ. क्रमांक– 674/58/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक– 10/04/2017.

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
2– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।
3– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, जबलपुर, (म0प्र0)।
4– कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, (म0प्र0)।
5– प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
6– संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

——की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए–बी विंग,भोपाल–462004

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक– 10/04/2017.

क्रमांक– 683/40/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017–18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करनें संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक – 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरूद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हैं।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

सरल कमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	न्यू एजुकेशन सोसा0 जबलपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	एन0ई0एस0 एजु0 महा0 जबलपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1. बी0ए0–प्रथम हिन्दी
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	—
5	आदेश कमांक – 580/999/आउशि/सम्बद्धता /17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें का कारण	रजिस्टर्ड समिति की वैध सूची, तथा नवीन आवेदित पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश की प्रति/कुल सचिव का प्रमाण पत्र उपलब्ध नही है।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	धारा 27 के अतंर्गत रजिस्टार्ड द्वारा अनुमोदित समिति की बैध सूची उपलब्ध नहीं है

7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	–निरंक–
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1. बी0ए0–प्रथम हिन्दी

4. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

5. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत्रा कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ. क्रमांक–684/40/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक– 10/04/2017.

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
2– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।
3– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, जबलपुर, (म0प्र0)।
4– कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, (म0प्र0)।
5– प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, जबलपुर मध्य प्रदेश।
6– संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

——की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए–बी विंग,भोपाल–462004

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक– 10/04/2017.

क्रमांक– 1052 /122/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017–18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करनें संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश कमांक – 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरूद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हैं।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

सरल कमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	वैष्णव माता शिक्षा समिति, पन्ना
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	वैष्णव माता विधि महा0 पन्ना
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0एससी0–प्रथम– कम्प्युटर साइंस
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	निरंक
5	आदेश कमांक – 580/999/आउशि/सम्बद्धता /17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें का कारण	कोड 28 में नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, ईपीएफ कटोत्रा अप्राप्त है
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कॉलेज कोड 28 में वि0वि0 का नियुक्ति पत्र नहीं है।

7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0एससी0–प्रथम– कम्प्युटर साइंस

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत्रा कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ. क्रमांक– 1053 /122/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक– 10/04/2017.

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।

2– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।

3– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, छतरपुर, (म0प्र0)।

4– कुल सचिव, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय, छतरपुर , (म0प्र0)।

5– प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, छतरपुर संभाग, (म0प्र0)।

6– संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

———की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए–बी विंग,भोपाल–462004

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक– 10/04/2017.

क्रमांक– **681** /43/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017–18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करनें संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश कमांक – 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरूद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हैं।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

सरल कमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	सिख एजुकेशन सोसा0 जबलपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	हरीसिंह रूपरहा कला वाणिज्य एवं विधि महा0 कॅट जबलपुर
3	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1. बी0ए0–द्वितीय,इतिहास, राजनीति,अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र 2. बी0काम0–द्वितीय कम्प्युटर एप्ली0
4	आदेश कमांक – 580/999/आउशि/सम्बद्धता /17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें का कारण	कॉलेज कोड–में प्राचार्य की नियुक्ति नहीं एवं आवेदित पाठ्यक्रमों में पर्याप्त नियुक्तियॉ नहीं है। वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किये जाने का प्रमाण नहीं। ईपीएफ कटोत्रा के दस्तावेज नहीं।
5	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कोड 28 में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं है वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से नहीं किया जा रहा है तथा नियमानुसार ईपीएफ कटोत्रा नहीं किया जा रहा है

6	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	–निरंक–
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1. बी0ए0–द्वितीय,इतिहास, राजनीति,अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र 2. बी0काम0–द्वितीय कम्प्युटर एप्ली0

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत्रा कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ. क्रमांक– 682 /43/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक– 10/04/2017.

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।

2– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।

3– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, जबलपुर, (म0प्र0)।

4– कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, (म0प्र0)।

5– प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, जबलपुर मध्य प्रदेश।

6– संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

——की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.